# MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# (Department of Science and Technology)

New Delhi, the 23rd April, 2013

- G. S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology Group 'A' Gazetted posts (non-ministerial, scientific and technical) Rules, 2004 and the Department of Science and Technology (Scientist 'B') Recruitment Rules 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and the conditions of service to the Group 'A' posts in the Department of Science and Technology, namely:—
- 1. Short-title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology Group 'A' Gazetted Posts (non-ministerial, scientific and technical) Rules, 2013.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "field experience" means and includes the following for the purposes of Flexible Complementing Scheme promotions:—
  - working experience in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in basic research after joining an organisation, etc.;
  - (ii) working experience in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in applied research after joining an organisation etc.;
  - (iii) working experience in experimental development for application of scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services, provided such work is not of routine use of scientific knowledge but involves application of scientific knowledge for creation of new innovative systems, practices, models;
  - (iv) working experience in research and development laboratories and institutions, scientific projects being operated in mission mode, working on international collaboration research and development projects etc.
- (b) "managerial capacity" means ability to manage and co-ordinate science and technology related activities at a senior level with clear understanding of issues involved in putting together quality science and technology programmes and ability to provide direction and guidance to subordinates and ability to groom them to take up higher level of responsibility;
- (c) "research and development experience" means and includes the following for the purposes of direct recruitment or deputation etc.:—
  - working experience in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in basic research.
  - (ii) working experience in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in applied research.
  - (iii) working experience in experimental development for application of scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services, provided such work is not of routine use of scientific knowledge but in application of scientific knowledge for creation of new innovative systems, practices, models.
  - (iv) working experience in research and development laboratories and institutions, scientific projects being operated in mission mode, working on international collaboration research and development projects etc.
  - (v) full time working experience in specific research and development projects or doing any post doctoral research
    project in any Institute or University as evidenced by certification by such Institute or University and
    publication of research work in journals of repute;

- (d) "Modified Assured Career Progression Scheme" means Scheme as notified by the Department of Personnel and Training vide O.M. No. AB/-14017/37/2008-Estt, (RR) dated the 10th September, 2010, as amended from time to time;
  - (e) "Scientists or Engineers" means persons who :-
    - (a) possess academic qualification of at least Master's degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's degree in Engineering or Technology or Medicine; and
    - (b) hold scientific posts.
  - (f) "scientific post" means a post in which the incumbent is a Scientist or Engineer, working in a scientific institution or organisation declared as Scientific Department /Organisation and who is engaged in creating new scientific knowledge or innovative engineering, technological or medical techniques or which is involved predominantly in professional research work and development;
  - (g) "scientific activities or services" means and includes the following namely:-
    - fundamental or basic research, that is to say original investigation to gain new scientific knowledge, not necessarily directed towards any specific practical aim or application; working in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in basic research;
    - (ii) applied research, that is to say, original investigation to gain new scientific or technical knowledge directed towards a specific practical aim or objective; working in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degrees in applied research.
    - (iii) experimental development, that is to say, application of scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems or services; field experience that depends on the work profile of the Department.
      - **Explanation.** For the purposes of this clause, it is clarified that the work relating to experimental development shall not be routine use of scientific knowledge but shall involve application of scientific knowledge for creation of new innovative systems, practices and models.
    - (iv) scientific and technical activities which are directly linked to research and development in terms of promoting the scientific activities and services, such as working in Research and Development laboratories and institutions, scientific projects being operated in mission mode, working on international collaboration Research and Development projects etc.;
  - (h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
  - (i) "Central Government" means Govt. of India in the Department of Science & Technology.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. (1) The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified under:

Sl. No.	Name of post	Classification	Number of posts	Pay band and grade pay or pay scale.
1.	Scientist 'B'	General Central Service,	46* (2013)	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400.
2.	Scientist 'C'	Group 'A' Gazetted	44* (2013)	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600.
3.	Scientist 'D'	(Non-Ministerial, Scientific and Technical)	21*(2013)	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600.
4.	Scientist 'E'		0* (2013)	Pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700.
5.	Scientist 'F'	**	02*(2013)	Pay band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8900.
6.	Scientist 'G'		01*(2013)	Pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 10000.
	Total	SVARCHINE TO A	114	

<sup>\*</sup> Subject to variation dependent on workload.

(2) Total number of sanctioned posts from Scientist 'B' to 'G' shall be 114:

Provided that there shall be complete interchangeability between the posts at these levels on account of in-situ promotions under Flexible Complementing Scheme (FCS) subject to condition that total number of posts of Scientist 'B' to Scientist 'G' taken together shall not exceed the total sanctioned strength.

- (3) In-situ promotions under FCS shall be personal to the officer concerned and shall not result in specific vacancy in the lower grade on that account.
- (4) The post currently held by the concerned officer shall be upgraded and shall be personal to him for the duration of his holding the in-situ promotion post.
- (5) The vacancy that may be created owing to superannuation, resignation or death of the officer shall result in the post reverting to the original position.
  - 4. Method of Recruitment. (1) The posts of Scientist 'B' to 'G' shall be selection posts.
    - (2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment, except for filling Scientist 'B' posts through promotion or deputation and absorption.
    - (3) Recruitment for the posts of Scientist 'B' shall be made either by promotion or direct recruitment or deputation (including short term contract) as specified in Schedule 1.
    - (4) Recruitment for the posts of Scientist 'C' to 'G' shall be made either by direct recruitment or deputation (including short term contract) as specified in Schedule Π.
    - (5) Particular method for recruitment for each post or each case shall be decided by the Central Government from time to time.
    - (6) Particular discipline or field of essential educational qualifications and experience for each post or in each case shall be decided by the Central Govt., keeping in view the availability of Scientists in different fields and further requirement of Scientist in a particular field.
    - (7) Ex-Servicemen may be recruited on re-employment basis in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
- 5. Promotion.— Promotions of Scientists shall be governed by the provisions of the Flexibile Complementing Scheme (FCS) as specified in Schedule III and as amended by the Department of Personnel and Training from time to time.
- 6.Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports and Annual Work Reports.—Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Reports along with Annual Work Reports of Scientists shall be recorded in accordance with the instructions, time schedules and the formats prescribed by the Central Government or the Department of Personnel and Training from time to time.
- 7. Probation.—(1) Every Scientist on appointment to the Service, either by direct recruitment or by promotion from Group 'B' scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Central Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Central Government may discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.
- (4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.
- 8. Confirmation. Confirmation of Scientist appointed through direct recruitment shall be done by the Central Government on the recommendations of Departmental Promotion Committee, the composition of which shall be as follows:
  - 1. Secretary, Department of Science and Technology

-Chairman

2. Joint Secretary (Administration)

-Member

- 3. Head of Division in which Scientist concerned is working or have worked —Member
- 9. Appointing Authority.—In the case of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F', the appointing authority will be Minister-in-charge and in the case of Scientist 'G', appointing authority will be the Appointments Committee of the Cabinet (ACC).
  - 10. Disqualification. No person.
  - (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Liability to serve in the Defence Service for recruits with engineering degrees. - Any person with a degree in engineering appointed to any posts under these rules shall, if so required, be liable to serve in any defence service or posts connected with the defence of India for a period not more than four years including the period, if any, spent on training:

Provided that the person shall not be required to serve aforesaid -

- (a) after expiry of ten years from the date of appointment;
- (b) ordinarily, after attaining the age of forty years.
- 12. Liability of officers to serve in India and outside. —The Scientists appointed to any posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside.
- 13. Training Courses. (1) Scientists appointed shall be liable to undergo such training, and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Central Government may decide from time to time.
- (2) The course shall include acquiring working knowledge of Hindi, as per standard's prescribed by the Central Government from time to time.
- (3) Successful completion of certain training courses like foundation course for newly recruited Scientist 'B' and Scientist 'C', as prescribed by Central Government, would be necessary for completion of probation period and consideration for FCS promotions.
- (4) An officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, the officer chooses to discontinue the service.

- 14. Classification of posts for the purposes of medical standards.—All posts under these rules shall be deemed to be non-technical posts for purposes of medical standards as specified in the medical regulations and medical report for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Central Services.
- 15. Power to relax Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Department of Personnel & Training and in matters where consultation with Union Public Service Commission is necessary, in consultation with Department of Personnel & Training and Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 16. Saving. —Nothing in these rules shall affect reservations and other concession required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE I

## [see rule 4(3)]

## Recruitment for the post of Scientist 'B'

- 1. Educational and other qualifications required for direct recruits.—
- (a) Essential:

Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

- (b) Desirable:
- (1) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (2) Specialised experience in Research and Development or Industrial or Academic Institutional or Science and Technology Organisations

Note: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on obtaining doctorate degree from a recognised University or Institution subject to a maximum of two years or period spent on Post Doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

2. Age limit for direct recruits.-

The upper age limit for direct recruitment shall not exceed 35 years.

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

3. In case of recruitment by promotion or deputation (including short term contract), grades from which the deputation (including short term contract) to be made.—

## Promotion:

Junior Analyst with three years' regular service in the parent cadre or department.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

# Deputation:

- (a) Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad:
  - (i) holding analogous post on a regular basis; or
- (ii) Scientists or Technologists or Junior Analysts with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -2, Rs. 9300 34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent; or
- (iii) Scientists or Technologists or Junior Analysts with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -2, Rs. 9300 34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in serial number 1 (a) above.
- Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority.
- Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under Flexible Complementing Scheme.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
- 4. Screening and selection process (applicable for both direct recruitment and on deputation).- The screening and selection process shall be as prescribed by Central Government. The composition of the eligibility Committee, screening-cum-short listing Committee and interview Board etc. shall be as prescribed by Central Government. However, majority of the members in the screening-cum-short listing Committee and Interview Board, including the Chairman shall be from outside the Department of Science and Technology. If considered necessary, the screening process shall include written test, to be conducted by the Central Government directly or through any Central Government agency or organisation having experience and expertise in the area.

5. The Departmental Fromotion Committee (for consideration of promotion) consists of	Committee (for consideration of promotion) consists	motion Committee (for consider	eration of promotion) consis
--	---	--------------------------------	------------------------------

1.	Chairman or Member,	Union Public Service Commission	—Chairman

Joint Secretary (Admn), Department of Science & Technology — Member

Scientist 'F' or Scientist 'G', Department of Science &
 Technology (to be nominated by Secretary, Department of
 Science & Technology) — Member

6. Consultation with Union Public Service Commission.—Consultation with Union Public Service Commission is necessary for recruitment by promotion and on deputation and absorption basis.

## SCHEDULEII

[see rule 4(4)]

## Recruitment for the posts of Scientist 'C' to Scientist 'G'

- 1. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'C').—
- (a) Essential:
- (i) Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

(ii) Four years' experience in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisation and scientific activities and services.

#### (b) Desirable:

Doctorate degree in Natural or Agricultural sciences or Master's degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

Note: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of two years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'C).-

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations in India or abroad:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number I (A) (a) above.
  - Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.
  - Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under FCS.
  - Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
  - 2. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'D').-
  - (a) Essential:
  - Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
  - (ii) Eight years' experience in research and development in industrial and academic Institution or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which four years shall be in science and technology programme, planning, development and co-operation.

## (b) Desirable:

Doctorate degree in Natural or Agricultural sciences or Master's degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

Note: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of two years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'D') .-

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations in India or abroad:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 2 (A) (a) above.
- Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.
- Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under FCS.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
- 3. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'E') .-

#### (a) Essential:

- (i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (ii) Ten years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which five years shall be in managerial capacity in science and technology programme, planning, development and cooperation.

## (b) Desirable:

Post Doctorate research in Natural or Agricultural Sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

Note: Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'E') .-

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations in India or abroad:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band 3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600 or equivalent; or
  - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 3 (A) (a) above.

- Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.
- Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under FCS.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
- 4. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'F').

#### (a) Essential:

- (i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (ii) Twelve years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which six years shall be in managerial capacity in science and technology programme, planning, development and cooperation.

#### (b) Desirable:

Post Doctorate research in Natural or Agricultural Sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'F').-

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations in India or abroad:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 in the parent cadre or department; or
  - (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 4 (A) (a) above.
- Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.
- Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under FCS.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
- 5. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'G').-

## (a) Essential:

- (i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.
- (ii) Fifteen years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which seven years shall be in administration, planning, development and cooperation of science and technology programme;
- (iii) Experience of evolving, managing and directing science and technology programme; and
- (iv) Published research work of high standard.

#### Desirable:

Post Doctorate research in Natural or Agricultural Sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute.

**Note:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience. However, period spent on post doctorate research in a University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

(B) Grades from which deputation (including short term contract) to be made (Scientist 'G').-

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognised research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
  - (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8900 in the parent cadre or department; or
  - (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 5 (A) (a) above.
- Note I: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organizations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of 5 years with the approval of the competent authority.
- Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS), shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under FCS.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
- 6. Age limit for direct recruits.-

The upper age limit for direct recruits in each category of posts shall be as under:

	Sl. No.	Name of post	Age limit	- I	
	1.	Scientist 'C'	35 years		
2	2.	Scientist 'D'	40 years		Objections for the second
	3.	Scientist 'E'	45 years		
	4.	Scientist 'F'	50 years		and the second s
400	5.	Scientist 'G'	50 years		

(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the orders issued by the Central Government).

- Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
- 7. Screening and selection process. (applicable for both direct recruitment and on deputation).— The screening and selection process shall be as prescribed by Central Government. The composition of the eligibility Committee, screening cum-short listing Committee and interview Board etc. shall be as prescribed by Central Government. However, majority of the members in the screening-cum-short listing Committee and Interview Board, including the Chairman shall be from outside the Department of Science and Technology. If considered necessary, the screening process shall include written test, to be conducted by the Central Government directly or through any other Central Government agency or organisation having experience and expertise in the area.

# SCHEDULE III (See Rule 5)

## Flexible Complementing Scheme

- I. The Flexible Complementing Scheme (FCS) is an in-situ promotion scheme for Scientist for which criteria shall be proven merit and records of research. The assessment norms for promotion under FCS shall be rigorous. Due emphasis shall be laid on evaluation of professional contribution and technical knowledge to ensure that only Scientists having to their credit demonstrable achievements or higher level of technical merit are recommended. Scientists recommended shall not only possess the requisite qualifications, but, should also be engaged in Scientific and innovative activities as distinct from the mere applicable to technical knowledge and further, the function discharged by them are relatable or identifiable to their academic specialisation.
- 2. Scientists or Technical experts doing management or administrative work in the Ministries shall not be considered for upgradation under FCS. However, they shall be given benefit of upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme.
- 3. The Scientists appointed on deputation or contract shall not be eligible for Flexible Complementing Scheme promotions (FCS). Only regular Scientists of the Department of Science and Technology shall be eligible for FCS promotion.
- 4. There shall be no retrospective promotions under FCS. The promotions under FCS shall be effective from the date these are approved by the appointing authority.
  - The promotions under FCS shall be limited to posts carrying a grade pay of Rs. 10,000/- or lower.
- 6. The promotion under FCS shall be applicable only to those Scientists and Technologists who hold scientific posts and are engaged in scientific activities and services as defined or specified in these rules. For promotions under FCS, the Scientist shall possess the following essential qualifications namely:-

Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent.

7. All the posts covered under FCS shall carry the following uniform pay band and grade pay, designation and the minimum residency period linked to performance as follows:-

Sl. No.	Pay band and grade pay	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
1.	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400.	Scientist 'B'	3 years
2.	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600.	Scientist 'C'	4 years
3.	Pay band -3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600.	Scientist 'D'	4 years
4.	Pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700.	Scientist 'E	5 years
5.	Pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of	Scientist 'F'	5 years

	Rs. 8900.			
6.	Pay band -4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Scientist 'G' Rs. 10000.			

- 8.1 The following period of service shall count towards the minimum residency period necessarily required to be put up in the lower grade for promotion to the next higher grade, namely:
  - (i) the period spent on deputation or foreign service to another scientific post;
  - (ii) the period of study leave or any other leave taken for improving the academic accomplishments;
  - the period of maternity leave and leave taken in continuation of the same for a maximum period of one year;
  - (iv) the period of earned leave not exceeding 180 days at a time sanctioned as per leave rules.
- 8.2 The period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post and the period of leave on medical grounds, leave such as extraordinary leave availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.
- 9. The regular services rendered, excluding ad-hoc service, non-qualifying service, in a post shall count for the purpose of review for promotion to the next higher grade under FCS.
- 10. The exceptionally meritorious candidates with all outstanding gradings shall be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career.
- 11. Field experience in research and development and experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of Scientists recruited to the posts in the Secretariat of the Scientific Ministries or Departments to higher grades under FCS.
- 12. Field experience of at least two years and five years respectively shall be essential for promotion to Scientist 'F' and Scientist 'G' grades respectively.
- 13. The criteria for field experience for different scientific activities have been elaborated under Scientific Activities and Services Rule. To meet this requirement, existing Scientists at Headquarters shall be considered for appointment on deputation basis to the scientific laboratories or institutes or universities or other relevant scientific activities.
- 14. The period spent on acquiring essential qualifications prescribed for direct recruits shall not count towards experience. However, period spent on acquiring doctorate degree from a recognised University or Institute in cases where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of two years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute, as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.
- 15. The eligible Scientist shall be given three chances for assessment for FCS for the next grade. In case a Scientist does not qualify under FCS for three successive years or chances for upgradation to next higher grade, he shall be covered under the Modified Assured Career Progression Scheme according to the provisions of the same.
  - 16. Broad assessment process.—
  - (a) The process for promotions under FCS shall be as prescribed by the Central Government in accordance with the FCS guidelines issued by DoPT from time to time.
  - (b) The process for assessment for FCS promotions shall be undertaken twice a year, as on 1st of January and 1st of July every year. The process shall be initiated at least 3 months in advance.
  - (c) Cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cutoff dates of assessment viz. 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of annual ACRs / AP ARs equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period of preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for FCS assessment.
  - 17. Level screening (Internal).- (1) There shall be two levels of assessment for FCS. The assessment procedure

all be as prescribed below.-

- (a) An internal Screening Committee shall be constituted by the Central Government for evaluation of annual work reports vis a vis the criteria for up-gradation under FCS. Level 1 Screening Committee shall assess the Scientists based on Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report and give its report and recommendations with specific reasons, on 'screening in' or 'screening out' of the eligible candidates.
- (b) Candidates who are 'screened out' in Level screening process shall be considered again after one year when they earn at least one more Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report and shall be subjected to the prescribed screening process again.
- (c) All Scientists eligible according to the provisions of FCS and who meet the benchmark of 'Good' for upgradation to Scientist 'C' and 'Very Good' for upgradation to Scientist 'D' and above would be screened in. The internal Screening Committee would report on the scientific content of work done by the Scientist in the prescribed format and same would be made available to the external assessment committee.
- 18. Level 2 Screening (External) Assessment Board or Departmental Peer Review Committee (DPRC).—
- (a) An Assessment Board shall be constituted by the Central Government for FCS promotions upto Scientist 'E'. The Assessment Board would have characteristic of independent peer group for the assessment of the scientific content of the work. The Departmental Peer Review Committee (DPRC) shall undertake level 2 screening for assessment of Scientists for their suitability for Scientist 'F' or Scientist 'G'.
- (b) The composition of Level 2 Screening Committee/ (Assessment Board/DPRC) shall be as decided by Central Government in accordance with the guidelines of Department of Personnel and Training issued from time to time.
- (c) Scientists 'screened in' by the Level 1 Screening Committee shall be placed before the Assessment Board (for FCS promotions upto 'E' level) or before the DPRC (for promotions to Scientist 'F' and 'G' level).
- (d) Such 'screened in' candidates shall be called for Interview by Level 2 Screening Committee (Assessment Board or DPRC as the case may be).
- (e) Level 2 Screening Committee shall be free to devise its process and procedure for assessment, which may include presentations by the candidates, interview etc.
- (t) The Assessment Board or DPRC shall, in each case, document specifically through a one page summary, the specific content of work done justifying the merit and the suitability of the candidates for promotion to the next higher grade.
- (g) The Assessment Board or DPRC shall specifically certify that the Scientists recommend meet all the criteria for in-situ promotion under FCS as prescribed under the rules.
- (h) The Level 2 Screening Committee shall make its recommendations on the basis of assessment of Annual Work Reports, presentation made by the candidates before it, performance during the Interview, academic and professional record of the candidates, research and development experience of the candidates evidenced by publication of research work in journals of repute, and such other factors or parameters as the Assessment Board or DPRC may consider necessary.
- (i) Candidates who fail to obtain the minimum required marks in the Level 2 Screening as prescribed by the Central Government shall go through the entire screening process viz. Level 1 Screening and Level 2 Screening again after one year, when they earn at-least one more Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report.

[F. No. A-01/49/2010-Admn. I(A)]

ANIL KUMAR YADAV, Under Secv.

# विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय

# (विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग)

# नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 98.—राष्ट्रपति, सींवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समूह 'क' राजपत्रित पद (अननुसचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी) नियम, 2004 और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वैज्ञानिक 'ख') भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समूह 'क' राजपत्रित पद (अननुसचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी) नियम, 2013 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
- (क) "फील्ड अनुभव" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं और सुनम्य पूरकता स्कीम प्रोन्नतियों के प्रयोजन के लिए उसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,--
- (i) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में कार्य का अनुभव, किसी संगठन में पद ग्रहण करने के पश्चात् बुनियादी अनुसंधान में डाक्टरेट या पोस्ट डाक्टरेट डिग्रियों में बिताई गई अवधि आदि;
- (ii) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में कार्य का अनुभव, किसी संगठन में पर ग्रहण करने के पश्चात् अनुप्रयुक्त अनुसंधान में
   डाक्टरेट या पोस्ट डाक्टरेट डिग्नियों में बिताई गई अवधि आदि;
- (iii) नई या सारत: समुन्नत सामग्रियों, युक्तियों, उत्पादों, प्रसंस्करणों, प्रणालियों या सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करने के लिए प्रयोगात्मक विकास में कार्य का अनुभव, परंतु यह तब जब ऐसा कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के सामान्य उपयोग का नहीं हो बल्कि उसमें नई नवीन प्रणालियों, पद्धतियों, प्रतिमानों के सृजन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का लागू होना अंतर्वेलित हो;
- (iv) अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और संस्थाओं, मिशन रीति में प्रचालित की गई वैज्ञानिक परियोजनाओं में कार्य का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में कार्य आदि;
- (ख) "प्रबंधात्मक सामर्थ्य" से गुणता विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में अंतर्वलित विचार वस्तुओं की स्पष्ट समझ के साथ ज्येष्ठ स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्रियाकलापों का प्रबंध और समन्वय करने की योग्यता और अधीनस्थों को निदेश और मार्गदर्शन देने की योग्यता और उनको उच्च स्तर की जिप्मेवारी लेने के लिए तैयार करने की योग्यता अधिप्रेत है;
- (ग) "अनुसंधान और विकास अनुभव" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति आदि के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित आते हैं,—
- (i) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में कार्य का अनुभव, बुनियादी अनुसंधान में डाक्टरेट या पोस्ट डाक्टरेट डिग्रियों में बिताई गई अवधि:
- (ii) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में कार्य का अनुभव, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डाक्टरेट या पोस्ट डाक्टरेट डिग्रियों में बिताई गई अवधि;
- (iii) नई या सारत: समुन्नत सामग्रियों, युक्तियों, उत्पादों, प्रसंस्करणों, प्रणालियों या सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए निर्देशित वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करने के लिए प्रयोगात्मक विकास में कार्य का अनुभव, परंतु यह तब जब ऐसा कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के सामान्य उपयोग का नहीं है बल्कि उसमें नई नवीन प्रणालियों, पद्धतियों, प्रतिमानों के सृजन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का लागू होना अंतर्वेलित हो;
- (iv) अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और संस्थाओं, मिशन रीति में प्रचालित की गई वैज्ञानिक परियोजनाओं में कार्य का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में कार्य आदि;
- (v) विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में या किसी संस्थान या विश्वविद्यालय में किसी पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान परियोजना में पूर्णकालिक कार्य का अनुभव, जो ऐसे संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र और ख्यातिप्राप्त जर्नल में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हो;
- (घ) "संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम" से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, का.ज्ञा.सं. ए.बी./14017/37/2008-स्था. (आर.आर.) तारीख 10 सितंबर, 2010 द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित, स्कीम अभिप्रेत है;

- (ङ) "वैज्ञानिकों या इंजीनियरों" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो,-
  - (क) प्रकृति या कृषि विज्ञान में कम से कम मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में कम से कम बैचलर डिग्री की शैक्षणिक अर्हता रखता हो; और
  - (ख) वैज्ञानिक पद धारण करता हो:
- (च) "वैज्ञानिक पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है, जिसमें पदधारी वैज्ञानिक विभाग/संगठन के रूप में घोषित किसी वैज्ञानिक संस्था या संगठन में कार्य करने वाला कोई वैज्ञानिक या इंजीनियर है और जो नए वैज्ञानिक ज्ञान या नवीन इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या चिकित्सीय तकनीकियों के सुजन में लगा हो या जो अधिकत: वृत्तिक अनुसंधान कार्य और विकास में सम्मिलत रहा है;
  - (छ) "वैज्ञानिक कार्यकलाप या सेवाओं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात् :-
    - (i) मूल या बुनियादी अनुसंधान, अर्थात् नया वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मूल अन्वेषण, जिसका किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक लक्ष्य या उपयोजन की ओर निदेशित होना आवश्यक नहीं है; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और संस्थानों में कार्य करना, बुनियादी अनुसंधान में डाक्टरेट या पोस्ट-डाक्टरेट डिग्नियों पर बिताई गई अविध;
    - (ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अर्थात् किसी विनिर्दिष्ट व्यावहारिक लक्ष्य या उद्देश्य की ओर निर्देशित नया वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मूल अन्वेषण; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों में कार्य करना, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डाक्टरेट या पोस्ट-डाक्टरेट डिग्नियों पर बिताई गई अवधि;
    - (iii) प्रयोगात्मक विकास अर्थात् नई या सारत: समुन्तत सामग्रियों, युक्तियों, उत्पादों, प्रसंस्करणों, प्रणालियों या सेवाओं को उत्पन्त करने के लिए निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करना; ऐसा फील्ड अनुभव जो विभाग की कार्य रूपरेखा पर निर्भर हैं। स्मष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रयोगात्मक विकास से संबंधित कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के सामान्य प्रयोग का किया जाना नहीं होगा बल्कि इसके अंतर्गत नई नवीन प्रणालियां, पद्धतियां और प्रतिमान के सृजन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का लागू होना है;
    - (iv) ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं को समुन्नत करने के अर्थों में अनुसंधान और विकास से संबद्ध है जैसे अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में कार्य करना, मिशन रिति से प्रचालित किए जाने के लिए वैज्ञानिक परियोजनाएं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में कार्य आदि;
  - (ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
  - (झ) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है ।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं :

क्रम सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान
1.	वैज्ञानिक 'बी'	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय वैज्ञानिक	46* (2013)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 5400 रु. सहित
2.	वैज्ञानिक 'सी'	और तकनीकी)	44* (2013)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.
3.	वैज्ञानिक 'डी'		21* (2013)	ग्रेड वेतन 6600 रु. सहित वेतन बॅंड-3, 15600-39100 रु.
4.	वैज्ञानिक 'ई'		0* (2013)	ग्रेड वेतन 7600 रु. सहित वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु.
				ग्रेड वेतन 8700 रु. सहित
5.	वैज्ञानिक 'एफ'		02* (2013)	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. ग्रेड वेतन 8900 रु. सहित
6.	वैज्ञानिक 'जी'		01* (2013)	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रू.
	कुल		114	ग्रेड वेतन 10000 रु. सहित

<sup>\*</sup> कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) वैज्ञानिक 'बी' से 'जी' तक मंजूर पदों की कुल संख्या 114 होगी :

परंतु वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' तक के पदों की संख्या कुल मंजूर पद संख्या से अधिक नहीं होने के अध्यधीन नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नतियों के कारण इन स्तरों पर पदों के बीच पूर्णत: अंतर्परिवर्तनीयता होगी।

- (3) एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित संबंधित अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होंगी और इसके परिणामस्वरूप निम्नतर ग्रेड में विनिर्दिष्ट रिक्ति नहीं होंगी।
- (4) संबंधित अधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद उन्नत हो जाएगा और उसे स्वस्थाने प्रोन्नति पद धारित किए जाने के दौरान उसके लिए व्यक्तिगत होगा ।
- (5) उस रिक्ति के परिणामरूप जो अधिकारी की अधिवर्षिता, त्यागपत्र या मृत्यु के कारण उत्पन्न हो, वह पद प्रतिवर्तित होकर मूल स्थिति में आ जाएगा ।
  - 4. भर्ती की पद्धति.- (1) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' के पद चयन पद होंगे।
- (2) वैज्ञानिक 'बी' के पदों को प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति और आमेलन के माध्यम से भरने वाले पदों के सिवाय सभी पद भर्ती के प्रयोजन के लिए लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त होंगे ।
- (3) वैज्ञानिक 'बी' के पदों पर भर्ती अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट या तो प्रोन्नित या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सिंविदा भी है) द्वारा की जाएगी।
- (4) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' के पदों पर भर्ती अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट या तो सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी है) द्वारा की जाएगी।
  - (5) प्रत्येक पद पर प्रत्येक मामले में भर्ती की विशिष्ट पद्धति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएगी ।
- (6) प्रत्येक पद के लिए और प्रत्येक मामले में आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभवों की विशिष्ट विद्या शाखा या क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उपलब्धता और किसी विशिष्ट क्षेत्र में आगे आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित किया जाएगा ।
- (7) भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पुनर्नियोजन के आधार पर भर्ती किया जा सकेंगा।
- 5. प्रोन्नति.—वैज्ञानिकों की प्रोन्नति अनुसूची III में यथाविनिर्दिष्ट और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के उपबंधों द्वारा शासित होगी।
- 6. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट —वैज्ञानिकों की वार्षिक कार्य रिपोर्ट सिंहत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर विहित अनुदेशों, समय अनुसूची और रूप विधान के अनुसार अभिलिखित की जाएगी ।
- 7. परिवीक्षा.—(1) प्रत्येक वैज्ञानिक या तो सीधी भर्ती या समूह 'ख' वेतनमान से प्रोन्नित द्वारा सेवा में नियुक्ति पर दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परंतु कांडर नियंत्रक प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अविध को बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाए जाने के लिए कोई भी विनिश्चय सामान्यतः पूर्व परिवीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उसे संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर ऐसा किए जाने के कारणों सहित लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

- (2) परिवीक्षा अविध या उसके बढ़ाए जाने की अविध के पूरा होने पर यदि वैज्ञानिक को स्थायी नियुक्ति के योग्य समझा गया हो तो उसे नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के लिए प्रतिधारित किया जाएगा और उसकी पुष्टि उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति के विरुद्ध की जाएगी।
- (3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो केन्द्रीय सरकार वैज्ञानिक को, यथास्थिति, सेवान्मुक्त या सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा।
- (4) परिवीक्षा अविध या उसके बढ़ाए जाने की अविध के दौरान सरकार वैज्ञानिक से प्रशिक्षण और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रमों को करने और ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों को (जिसके अंतर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) पास करने की अपेक्षा कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार परिवीक्षा को समाधानप्रद रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में उचित समझे।
- (5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों की बाबत सेवा का सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा ।
- 8. पुष्टि.—सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक की पुष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नित समिति की सिफारिशों पर की जाएगी जिसकी संरचना में निम्नलिखित होंगे ।

 सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिको विभाग —अध्यक्ष
 संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य
 उस प्रभाग का प्रमुख जिसमें संबोधित —सदस्य वैज्ञानिक कार्य कर रहा है या कर्य किया है

- 9. नियुक्ति प्राधिकारी.—वैज्ञानिक 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी प्रभारी मंत्री होगा और वैज्ञानिक 'जी' के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) होगी ।
  - 10, निरहता,-वह व्यक्ति-
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

11. इंजीनियरिंग डिग्नियों सहित भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए रक्षा सेवा में सेवा करने का दायित्व,—इन नियमों के अधीन किसी पद पर इंजीनियरिंग में डिग्नी सहित नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, तो चार वर्ष से अनिधक की अविध, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर बिताई गई अविध भी है, यदि कोई हों, किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा:

परंतु ऐसे व्यक्ति से पूर्वोक्त सेवा की अपेक्षा नहीं की जाएगी-

- (क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष के अवसान के पश्चात् ;
- (ख) सामान्यत: चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ।
- 12. अधिकारियों का भारत में या भारत के बाहर सेवा करने का दायित्व.—इन नियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त वैज्ञानिक भारत में या भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।
- 13. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.—नियुक्त वैज्ञानिक भारत या विदेश में ऐसा प्रशिक्षण लेने और अनुदेशों के ऐसे पाठ्यक्रम पर भेजे जाने के दायित्वाधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिश्चित करें।
- (2) पाठ्यक्रमों के अंतर्गत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित करना भी होगा।
- (3) नए भर्ती किए गए वैज्ञानिक 'बी' और वैज्ञानिक 'सी' के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा विहित आधार पाठ्यक्रम जैसे कितिपय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना, परिवीक्षा अविध के पूरा किए जाने और एफसीएस प्रोन्नितयों के लिए विचार किए जाने के लिए आवश्यक होगा।
- (4) ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए जिसकी अविध छ: मास या उससे अधिक है, भेजा गया कोई अधिकारी या प्रशिक्षण की अविध को विचार में लाए बिना भारत के बाहर या भारत में किसी प्राईवेट फर्म या कारखाने में भेजा गया कोई अधिकारी ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण के पूर्ण खर्च का प्रतिदाय करने के दायित्वाधानि होगा, यदि किसी भी कारण से प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा किए जाने के पश्चात् तीन वर्ष की अविध के भीतर अधिकारी सेवा छोड़ने का चुनाव करता है।
- 14. चिकित्सा मानकों के प्रयोजन के लिए पदों का वर्गीकरण.—इन नियमों के अधीन सभी पद चिकित्सा विनियमों और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के प्रयोजन के लिए अतकनीकी पद समझे जाएंगे।
- 15. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके और उन मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 16. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची- I

## [ नियम 4 ( 3 ) देखिए ]

# वैज्ञानिक 'बी' पदों के लिए भर्ती

1. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं . ---

# (क) आवश्यक:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य ।

# (ख) वांछनीय :

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
  - (2) अनुसंधान और विकास या औद्योगिक या शैक्षणिक संस्था या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में विशेषज्ञीय अनुभव ।

टिप्पण: आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अर्विध की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी। तथापि अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाक्टरेट डिग्री अर्जित करने पर बिताई गई अविध और अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों द्वारा प्रमाणित हों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन में बिताई गई अविध की गणना अनुभव के रूप में की जाएगी।

2. सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा-

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई ऑतम तारीख होगी। (न कि वह ऑतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

3. प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सिवदा भी है) के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की जानी है,-

# प्रोन्तिः

मूल काडर या विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित कनिष्ठ विश्लेषक ।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

# प्रतिनियुक्ति :

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :
  - (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा सहित वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या कनिष्ट विश्लेषक हो ;

रंग

- (iii) वेतन बैंड-2, 9300—34800रु. ग्रेड वेतन 4600रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा सहित वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या कनिष्ठ विश्लेषक हो ; या
  - (ख) पूर्वोक्त क्रम सं. 1 (क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा !

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पॅक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. छानबीन और चयन प्रक्रिया (सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति दोनों के लिए लागू). - छानबीन और चयन प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित होगी। पात्रता सिमिति, छानबीन-सह-छंटनी सिमिति और साक्षात्कार बोर्ड आदि की संरचना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित होगी। तथापि, छानबीन-सह-छंटनी सिमिति और साक्षात्कार बोर्ड, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, के सदस्यों का बहुमत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बाहर से होगा। यदि आवश्यक समझा जाए, तो छानबीन प्रक्रिया में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या उस क्षेत्र में अनुभव और विशोषज्ञता रखने वाले किसी केन्द्रीय सरकारी अभिकरण या संगठन के माध्यम से संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा को सिम्मिलित किया जाएगा।

5. विभागीय प्रोन्तित समिति (प्रोन्तित पर विचार किए जाने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: —

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

---अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग

—सदस्य

3. वैज्ञानिक 'एफ' या वैज्ञानिक 'जो', विज्ञान प्रौद्योगिकी

—सदस्य

(विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले)

6. संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श. – प्रोन्नित और प्रतिनियुक्ति और आमेलन आधार पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं।

# अनुसूची- II

[नियम 4 (4) देखिए]

वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' पदों के लिए भर्ती

1. (अ) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'सी') पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं .—

# (क) आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों और वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंघान और विकास में चार वर्ष का अनुभव ।

# (ख) वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री या'समतुल्य ।

टिप्पण : आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी । तथापि उन मामलों मे जहां डाक्टरेट डिग्री आवश्यक अर्हता नहीं है, अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाक्टरेट डिग्री अर्जित करने पर बिताई गईं अविध और अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों द्वारा प्रमाणित हों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन में बिताई गई अविध की गणना अनुभव के रूप में की जाएगी।

(आ) वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गर्त अल्पकालिक संविदा भी है) की जानी है (वैज्ञानिक 'सी').-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :

- (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है; और
  - (ख) पूर्वोक्त क्रम सं. 1 (अ)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अध्यर्थी, जो नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित की सीधी पॅक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित के लिए जिए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

2. (अ) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'डी') के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-

## (क) आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों और वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से चार वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, योजना निर्माण, विकास और सहकारिता में होगा ।

# (क) वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिको या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

टिप्पण : आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी । तथापि उन मामलों में जहां डाक्टरेट डिग्री आवश्यक अर्हता नहीं है, अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाक्टरेट डिग्री अर्जित करने पर बिताई गई अवधि और अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर बिताई गई अवधि की गणना, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हों, अनुभव के रूप में की जाएगी

(आ) वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की जानी है (वैज्ञानिक 'डी').-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत्त संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :

- (क)(i) नियमित आधार पर सद्रश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है ; और

(ख) पुर्वोक्त क्रम सं. 2(अ)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्तित की सीधी पॅक्ति में है, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3. (अ) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'ई') के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं .-

# (क) आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों और वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, योजना निमार्ण, विकास और सहकारिता में प्रबंधात्मक हैसियत का होगा ।

# (ख) वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से प्रकृति या कृषि विज्ञान में पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हों।

टिप्पण: आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी। तथापि अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर बिताई गई अवधि की गणना, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हों, अनुभव के रूप में की जाएगी।

(आ) वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी है) की जानी है (वैज्ञानिक 'ई').-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :

- (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में, श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है ; और
- (iii) वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की है ; और
  - (ख) पूर्वोक्त क्रम सं. 3(अ)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्तित की सीधी पीक्त में है, ऐसे काडर बाह्य पर्दों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. (अ) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'एफ') के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-

## (क) आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों और वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और विकास में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से छः वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, योजना निमार्ण, विकास और सहकारिता में प्रबंधात्मक हैसियत का होगा ।

# (ख) वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से प्रकृति या कृषि विज्ञान में पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हों।

टिप्पण: आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी। तथापि अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संगठन से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर बिताई गई अवधि की गणना, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हो, अनुभव के रूप में की जाएगी।

(आ) वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की जानी है (वैज्ञानिक 'एफ').-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :

- (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-6700 रु. ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के परचात् दो वर्ष की सेवा की है ; या
- (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600 -39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सात वर्ष की सेवा की है; और
  - (ख) पूर्वोक्त क्रम सं. 4(अ)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।
- टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा।
- टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अध्यर्थी, जो नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित की सीधी पॉक्त में हैं, ऐसे काडर बाह्य पदों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5. (अ) सीधी भर्ती (वैज्ञानिक 'जी') के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं .-

#### (क) आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
  - (ii) औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों और वैज्ञानिक कार्यकलापों और सेवाओं में अनुसंधान और

विकास में पन्द्रह वर्ष का अनुभव जिसमें से सात वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशासन, योजना निमार्ण, विकास और सहकारिता का होगा ।

- (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने, उनका प्रबंध करने और उनके निदेशक का अनुभव; और
- (iv) उच्च मानक का प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।

# (ख) वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से प्रकृति या कृषि विज्ञान में पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हों।

टिप्पण: आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अविध की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी। तथापि अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर बिताई गई अविध की गणना, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा प्रमाणित हो, अनुभव के रूप में की जाएगी।

(आ) वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी है) की जानी है (वैज्ञानिक 'जी').-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्धसरकारी या कानूनी या भारत या विदेश में स्वायत संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :

- (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. ग्रेड वेतन 8900 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हैं; या
- (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400 -67000 रु. ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की सेवा की है; और
  - (ख) पूर्वोक्त क्रम सं. 5(अ)(क) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम पांच वर्ष के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अध्यर्थी, जो नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित की सीधी पिंक्त में है, ऐसे काडर बाह्य पर्दों के सिवाय जिसके लिए वे पोषक श्रेणी अधिकारी नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की ऑतम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा, - पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा निम्नलिखित रूप में होगी :

क्रम सं.	पद का नाम	आयु-सीमा
1.	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष
2.	वैज्ञानिक 'डी '	40 वर्ष
3.	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष
4.	वैज्ञानिक 'एफ'	50 বৰ্ष
5.	वैज्ञानिक 'जी'	50 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथल की जा सकती है ।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई ऑतम तारीख होगी। (न कि वह ऑतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लक्षख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

7. छानबीन और चयन प्रक्रिया (सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति दोनों के लिए लागू).- छानबीन और चयन प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित होगी। पात्रता सिमित, छानबीन-सह-छंटनी सिमिति और साक्षात्कार बोर्ड आदि की संरचना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित होगी। तथापि, छानबीन-सह-छंटनी सिमिति और साक्षात्कार बोर्ड, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, के सदस्यों का बहुमत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बाहर से होगा। यदि आवश्यक समझा जाए, तो छानबीन प्रक्रिया में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या उस क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी केन्द्रीय सरकारी अभिकरण या संगठन के माध्यम से संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा को सिम्मितित किया जाएगा।

# अनुसूची- III

(नियम 5 देखिए)

### नम्य पुरकता स्कीम

- 1. नम्य पूरकता स्कीम (एफसीएस) वैज्ञानिक के लिए स्वस्थाने प्रोन्नित स्कीम है जिसके लिए मानदंड प्रमाणित योग्यता और अनुसंधान के अभिलेख होंगे। एफसीएस के अधीन प्रोन्नित के लिए निर्धारण प्रमाप कडोर होंगे। वृत्तिक योगदान और तकनीकी ज्ञान के मूल्यांकन पर सम्यक्त बल दिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हों कि प्रदर्शनीय उपलब्धियां या तकनीकी योग्यता का उच्चतर स्तर रखने वाले वैज्ञानिकों की ही सिफारिश की गई है। सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों के पास न केवल अपेक्षित अर्हताएं होंगी बल्कि उनको वैज्ञानिक और नवीन क्रियाकलाणों में भी लगे रहना चाहिए जो तकनीकी ज्ञान के लागू होने मात्र से भिन्न है और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निर्वहन किए गए कृत्य उनकी शैक्षणिक विशेषज्ञता के सजातीय और अभिज्ञेय है।
- 2. मंत्रालयों में प्रबंधात्मक या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों पर एफसीएस के अधीन उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथापि उनको संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अधीन उन्नयन का फायदा दिया जाएगा।
- 3. प्रतिनियुक्ति या सेविदा पर नियुक्त वैज्ञानिक नम्य पूरकता स्कीम प्रोन्नतियों (एफसीएस)के लिए पात्र नहीं होंगे । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभान के नियमित वैज्ञानिक ही एफसीएस प्रोन्नतियों के लिए पात्र होंगे ।
- 4. एफसीएस के अधीन कोई भूतलक्षी प्रोन्नितयां नहीं होगी। एफसीएस के अधीन प्रोन्नित उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इनको अनुमोदित किया। गया है।
  - 5. एफसीएस के अधीन प्रोन्नितयां 10,000 रु. या उससे निम्नतर ग्रेड वेतन वाले पदों तक सीमित होंगी।
- 6. एफसीएस के अधीन प्रोन्नित केवल उन वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को लागू होंगी जो वैज्ञानिक पद धारण करते हैं और जो इन नियमों में यथा परिभाषित या विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सेवाओं में लगे हैं। एफसीएस के अधीन प्रोन्नितयों के लिए वैज्ञानिक के पास निम्निलिखत आवश्यक अर्हताएं होंगी, अर्थातु:-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकृति या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य ।

7. एफसीएस के अधीन आने वाले सभी पद निम्नलिखित एकरूप वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, पदनाम और निम्नलिखित कार्य संपादन से संबंधित न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि सहित होंगे :-

क्रम सं.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	पदनाम	कार्य संपादन से संबंधित न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेतन बैंड-3, 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 रु. सहित	वैज्ञानिक 'बी '	3 वर्ष
2.	वेतन बेंड-3, 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600 रु. सहित	वैज्ञानिक 'सी'	4 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	वेतन बैंड-3, 15600-39100 ग्रेड   वेतन 7600 रु. सहित	वैज्ञानिक 'डी '	4 वर्ष
4.	वेतन बैंड-4, 37400-67000 ग्रेड वेतन 8700 रु. सहित	वैज्ञानिक 'ई'	5 वर्ष
5.	वेतन बैंड-4, 37400-67000 ग्रेड वेतन 8900 रु. सहित	वैज्ञानिक 'एफ '	5 वर्ष
6.	वेतन बैंड-4, 37400-67000 ग्रेड वेतन 10000 रु. सहित	वैज्ञानिक 'जी '	-

- 8.1 सेवा की निम्नलिखित अवधि की गणना अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए निम्नतर श्रेणी में रखी जाने वाली आवश्यक रूप से अपेक्षित न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के लेखे की जाएगी, अर्थात् :-
  - (i) अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर बिताई गई अवधि ;
  - (ii) अध्ययन छुट्टी या शैक्षणिक पूर्ति में अभिवृद्धि के लिए ली गई किसी भी अन्य छुट्टी की अवधि ;
  - (iii) प्रसूति छुट्टी या उसके साथ निरंतर अधिकतम एक वर्ष के लिए ली गई छुट्टी की अविध ;
  - (iv) छुट्टी नियमों के अनुसार मंजूर की गई एक बार में 180 दिन से अनिधक उपार्जित छुट्टी की अविध ।
- 8.2 किसी अवैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर बिताई गई अवधि और चिकित्सा आधारों पर छुट्टी की अवधि, छुट्टी जैसे व्यक्तिगत आधारों पर ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के लेखे नहीं की जाएगी।
- 9. किसी पद में तदर्थ सेवा, अनिर्हित सेवा को छोड़कर की गई नियमित सेवा की गणना एफसीएस के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए पुनर्विलोकन के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
- 10. सभी उत्कृष्ट श्रेणीकरणों सहित आपवादिक रूप से सराहनीय अभ्यर्थियों की रेजीडेंसी अवधि शिथिल की जाएगी, शिथिलीकरण एक वर्ष में एक अवसर से अधिक नहीं होगा, उनके संपूर्ण कैरियर में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित होगा ।
- 11. वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों के सचिवालयों में पदों पर भर्ती वैज्ञानिकों की एफसीएस के अधीन उच्चतर श्रैणियों में प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में फील्ड अनुभव और ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव अनिवार्य है ।
- 12. वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' श्रेणियों में प्रोन्नित के लिए कम से कम क्रमशः दो वर्ष और पांच वर्ष का फील्ड अनुभव आवश्यक होगा।
- 13. विभिन्न वैज्ञानिक क्रियाकलापों के लिए फील्ड अनुभव के मानदंड वैज्ञानिक क्रियाकलापों और सेवा नियमों के अधीन विस्तार से वर्णित हैं। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए मुख्यालय में वर्तमान वैज्ञानिकों पर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अन्य सुसंगत वैज्ञानिक क्रियाकलापों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
- 14. आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने पर बिताई गई अवधि की गणना अनुभव हेतु नहीं की जाएगी । तथापि उन मामलों में जहां डाक्टरेट डिग्री आवश्यक अर्हता नहीं है, अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डाक्टरेट डिग्री अर्जित करने पर बिताई गई अवधि और अधिकतम दो वर्ष के अध्यधीन किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधान पर, जो ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों द्वारा प्रमाणित हों और ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन में बिताई गई अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जाएगी ।
- 15. पात्र वैज्ञानिकों को अगली श्रेणी में एफसीएस के लिए निर्धारण हेतु तीन अवसर दिए जाएंगे। यदि कोई वैज्ञानिक उत्तरोत्तर तीन वर्षों या अवसरों पर अगली उच्चतर श्रेणी में उन्तयन के लिए अर्हित नहीं होता है तो उसे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत स्कीम के अधीन उसी के उपबंधों के अनुसार समाविष्ट किया जाएगा।
  - 16. विस्त्रत निर्धारण प्रक्रिया.-
  - (क) एफसीएस के अधीन प्रोन्नितयों की प्रक्रिया डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी एफसीएस मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित होगी।
  - (ख) एफसीएस प्रोन्नतियों के लिए निर्धारण की प्रक्रिया एक वर्ष में दो बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को की जाएगी। प्रक्रिया कम से कम तीन मास पूर्व प्रारंभ की जाएगी।
  - (ग) उन वैज्ञानिकों के मामलों पर, जिन्होंने निर्धारण की अंतिम तारीख अर्थात्, यथास्थिति, पहली जनवरी या पहली जुलाई को न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि पूरी कर ली है या कर लेंगे और जिन्होंने निर्धारण की ऑतिम तारीख के पूर्व अवधि के लिए न्यूनतम रेजीडेंसी

अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर या अधिक वार्षिक एसीआरएस/एपीएआरएस की संख्या उपार्जित कर ली है या कर लेंगे, एफसीएस निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा ।

- 17. स्तर 1 छानबीन (आंतरिक).- (1) एफसीएस के लिए निर्धारण के दो स्तर होंगे। निर्धारण प्रक्रिया निम्न रूप में यथा विहित होगी।
- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एफसीएस के अधीन उन्नयन के लिए मानदंड के बारे में वार्षिक कार्य रिपोर्टों के मूल्याकंन के लिए एक आंतरिक छानबीन समिति का गठन किया जाएगा। स्तर। छानबीन समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिकों का निर्धारण करेगी और विनिर्दिष्ट कारणों सिहत पात्र अभ्यर्थियों को छानबीन में लेने या छानबीन में निकालने के लिए विनिर्दिष्ट कारणों सहित अपनी रिपोर्ट और सिफारिशों देगी।
- (ख) ऐसे अश्यर्थियों पर, जिन्हें स्तर 1 छानबीन प्रक्रिया में छानबीन में निकाल दिया गया है, एक वर्ष के पश्चात् फिर से विचार किया जाएगा जब वे एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट उपार्जित कर लेंगे और वे फिर से विहित छानबीन प्रक्रिया के अधीन होंगे।
- (ग) एफसीएस के उपबंधों के अनुसार पात्र सभी वैज्ञानिक और जिन्होंने वैज्ञानिक 'सी' पर उन्नयन के लिए 'अच्छा' और वैज्ञानिक 'डी' तथा उससे ऊपर के लिए उन्नयन हेतु 'बहुत अच्छा' माप को पूरा किया है, छानबीन में लिया जाएगा। आंतरिक छानबीन समिति विहित रूप विधान में वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक विषय वस्तु पर रिपोर्ट देगी और उसे बाह्य निर्धारण समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 18. स्तर 2 छानबीन (बाह्य)- निर्धारण बोर्ड या विभागीय श्रेष्ठि पुनर्विलोकन समिति (डीपीआरसी).-
- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वैज्ञानिक 'ई' तक की एफसीएस प्रोन्नितयों के लिए एक निर्धारण बोर्ड का गठन किया जाएगा। निर्धारण बोर्ड के पास कार्य की वैज्ञानिक विषय वस्तु के निर्धारण के लिए स्वतंत्र श्रेष्ठि समूह की विशेषता होगी। विभागीय श्रेष्ठि पुनर्विलोकन समिति (डीपीआरसी) वैज्ञानिक 'एफ' या वैज्ञानिक 'जी' के लिए उनकी उपयुक्तता के लिए वैज्ञानिकों के निर्धारण के लिए स्तर 2 छानबीन करेगी।
- (ख) स्तर 2 छानबीन समिति/(निर्धारण बोर्ड/डीपीआरसी) की संरचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिश्चित होगी।
- (ग) स्तर 1 छानबीन समिमि द्वारा छानबीन में लिए गए वैज्ञानिकों को निर्धारण बोर्ड के समक्ष ('ई' स्तर तक एफसीएस प्रोन्नितयों के लिए) या डीपीआरसी के समक्ष (वैज्ञानिक 'एफ' और 'जी' स्तर तक प्रोन्नितयों के लिए) रखा जाएगा ।
- (घ) छानबीन में लिए गए ऐसे अभ्यर्थियों को स्तर 2 छानबीन समिति (यथास्थिति, निर्धारण बोर्ड या डीपीआरसी) द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।
- (इ) स्तर 2 छानबीन समिति निर्धारण की प्रक्रिया रचने के लिए स्वतंत्र होगी जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुती और साक्षात्कार आदि हो सकेंगी।
- (च) निर्धारण बोर्ड या डीपीआरसी प्रत्येक मामले में अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के लिए अभ्यर्थी की योग्यता और उपयुक्तता को न्यायोचित टहराने के लिए किए गए कार्य की विनिर्दिष्ट विषय वस्तु का, विनिर्दिष्ट रूप से एक पृष्ठ के साँक्षप्त विवरण के माध्यम से दस्तावेज तैयार करेगी।
- (छ) निर्धारण बोर्ड या डीपीआरसी विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रमाणित करेगी कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक, नियमों के अधीन यथा विहित एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए सभी मानदंड पूरे करते हैं।
- (ज) स्तर 2 छानबीन समिति वार्षिक कार्य रिपोर्टों के निर्धारण, उसके समक्ष अभ्यर्थीं द्वारा की गई प्रस्तुती, साक्षात्कार के दौरान प्रदर्शन, अभ्यर्थी के शैक्षणिक और वृत्तिक अभिलख अभ्यर्थी के अनुसंधान और विकास अनुभव के आधार पर, जो ख्यातिप्राप्त जर्नलों में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन और ऐसे अन्य कारकों या परिमापियों द्वारा प्रमाणित हों जो निर्धारण बोर्ड या डीपीआरसी उचित समझे, अपनी सिफारिश करेगी।
- (झ) ऐसे अध्यर्थी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित स्तर 2 छानबीन में न्यूनतम अपेक्षित अंक प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, एक वर्ष के पश्चात् फिर से संपूर्ण छानबीन प्रक्रिया अर्थात् स्तर 1 छानबीन और स्तर 2 छानबीन से गुजरेंगे जब वे कम से कम एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट उपाजित कर लेंगे।

[फा. सं. ए-01/49/2010-प्रशा.1(ए)]

अनिल कुमार यादव, अवर सचिव